



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 09/2018/परीक्षा/दिनांक 24/12/2018

प्रकाशन की तिथि 02/01/2019

:: विज्ञापन ::

मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख' एवं 'ग' (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15/01/2019 मध्याह्न 12:00 बजे से 13/02/2019 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनिम्न होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अध्यक्षिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के विचारकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अर्थात् द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्रापट अथवा बैंक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए 15/01/2019 को मध्याह्न 12:00 बजे से 13/02/2019 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 16/02/2019 अपराह्न 12:00 बजे से 22/02/2019 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 16/02/2019 अपराह्न 12:00 बजे से 22/02/2019 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:

सं. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
1	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग—ख बैकलॉग	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	7 वेतन मैट्रिक्स लेवल—12 1 (वेतन बैंड ₹ 15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400)
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग—ग बैकलॉग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	10	3	7	3	3	-	2	-	01 (OA, OL, BL, OAL, B, LV, HH) 02 (OA, OL, BL, OAL, B, LV, HH)	01 (अनारक्षित) -	23 वेतन मैट्रिक्स लेवल—09 5 (वेतन बैंड ₹ 9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300)
कुल पद :—											36	

Abbreviations Used :- OA- One Arm, OL- One Leg, OAL-One Arm & One Leg, BL- Both Leg, B- Blind, LV- Low Vision, HH- Hearing Handicapped

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, विलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OA, OL, BL, OAL, B, LV, HH) ही मान्य होंगे।

- छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक ही मान्य होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो नियमित शासकीय सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक को देय छूट का लाभ देय नहीं होगा। यदि ऐसे उमीदवार छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को लागू अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान लागू होंगे।

रिक्तियों में आरक्षण :-

- उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (और क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

- छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी

- (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।
7. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
8. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- (2) पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता :-
- (A) पद का नाम :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग-ख
- (i) सेवा श्रेणी :- अराजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
- (ii) वेतनमान रूपये :- ₹ 56100 (स्तर-12)
- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ :-
- (a) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
- (A) पद का नाम :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग-ग
- (i) सेवा श्रेणी :- अराजपत्रित-तृतीय श्रेणी
- (ii) वेतनमान रूपये :- ₹ 38100 (स्तर-09)
- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ :-
- (a) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
- (3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- महत्वपूर्ण नोट:-
- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का 'प्रमाण-पत्र' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
- (4) निर्धारित आयु सीमा:-
- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2018 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।
- उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कभी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों / पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मीं / पंचायतकर्मीं के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
- (vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- (ix) अदिस जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जालीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्यों के सर्वांग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3 / 10 / 85 / 3 / 1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्रिलिङ्गियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से प्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- महत्वपूर्ण टीप:-
- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के

- अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 / 2015 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2018 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनहं पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्राप्तान फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमरस्टर/ वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक हैं, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/ अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/ आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बावजूद गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही
- देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आय सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/ प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका – 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi), एवं 4(vii) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/ नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका – 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका – 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका – 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिये “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका – 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका – 4(xii) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता” का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/ निगम/ मंडल/ उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए नियेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्तीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी आंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसे स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निररत किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/ शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) आपराधिक अभियोजन :-
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो / किया हो, या
- (iv) कर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश—पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B)** उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती—
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अस्वीकृति निरस्त की जा सकती और/या
- (ii) उसे या तो रथायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवरित किया जाएगा—
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकता है, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
- (9)** **अनर्हता:** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होती है—
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी रखारथ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वरक्ष्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी रखारथ्य
- (iii) परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे रखारथ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (10)** **चयन प्रक्रिया** :— विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ‘केवल’ साक्षात्कार द्वारा अथवा लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- टीप:**— यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा—
- (i) उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट—‘एक’ तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट—‘दो’ में प्रकाशित है।
- (iii) लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा हेतु रायपुर, भिलाई—दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर (सरगुजा) एवं जगदलपुर (बस्तर) परीक्षा केन्द्र होंगे।
- (11)** **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क** :—
- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ग्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।
- (ii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (12)** **लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में** :— (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
- (i) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्णाणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थी आयोग को लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न—पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न—पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (13)** **यात्रा व्यय का भुगतान** :—
- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गेर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वारत्विक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापरी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा—पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।
- (ii) साक्षात्कार के लिये – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वारत्विक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 13(i) में उल्लेखित वांछित

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
(14) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):—

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही / —

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

परिशिष्ट-एक,
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | | | |
|------------------------------|---|---------|-----|---|
| लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा | - | 300 अंक | (5) | सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी। |
| साक्षात्कार | - | 30 अंक | (6) | पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है। |
| कुल | - | 330 अंक | (7) | प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा। |
- (2) लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा:-
- (i) लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा में वर्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-
- | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|------|--|
| प्रश्न पत्र | (8) | साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अहकारी न्यूनतम अंक नहीं है। | | |
| प्रश्नों की संख्या 150 | 3:00 घंटे | अंक 300 | (9) | साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा में अहं घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। |
| भाग 1 – सामान्य अध्ययन | - | 75 प्रश्न (150 अंक) | (10) | चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। |
| भाग 2 – ७०गो का सामान्य परिचय | - | 75 प्रश्न (150 अंक) | | |
| कुल | - | 150 प्रश्न (300 अंक) | | |
- (3) लिखित परीक्षा/ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:-

$$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त

* * * * *

परिशिष्ट-दो,
“पाठ्यक्रम”

माग-१ :: सामान्य अध्ययन ::

1. मारतीय संस्कृति स्वरूप एवं विशेषताएं – इसके अंतर्गत भारत में स्थित विभिन्न सांस्कृतिक-धार्मिक समूहों की मूल्य व्यवस्था पर आधारित जानकारी अपेक्षित है।
2. सिन्धु घाटी की सभ्यता – नगर योजना एवं आर्किटेक्चर— मोहन जोदाड़, अड्डा चनहुन्दारों, कालीबांगन, लोथन, सुरकोताड़ा,
3. 19 वीं भारताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का इतिहास – इसके अंतर्गत 1857 की कांडी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत नरसंघ एवं गरमांग समूह, क्रांतिकारी, जनजातीय, कृषक एवं अहिंसात्मक आंदोलनों पर आधारित प्रश्न होंगे।
4. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं – राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम के अंतर्गत गठबंधनीय शासन व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, दबाव समूह तथा क्षेत्रीय उग्रवाद एवं पृथक्तावादी आंदोलन तथा नक्सलवाद। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकलधुरीय व्यवस्था का विश्व राजनीति पर प्रभाव तथा वैश्वीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव का ज्ञान अपेक्षित है।
5. भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था – इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुदलीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक प्रणाली, केन्द्रीयकृत नौकरशाही व्यवस्था एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण पर आधारित प्रश्न होंगे।
6. छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन
7. शहरी स्थानीय शासन – 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात् प्रारूप, संरचना एवं समस्यायें। छत्तीसगढ़ में प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम।
8. भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं – आर्थिक नियोजन, औद्योगिकरण, विदेशी पूँजी निवेश तथा इनका रोजगार के अवसर एवं श्रमिकों की स्थिति पर प्रभाव आदि की जानकारी अपेक्षित है।
9. भारत का भूगोल: प्रमुख विशेषताएं – इसके अंतर्गत भारत की भौतिक स्थिति, जलवायु, नदियों, समुद्र और पहाड़ों का मानव बसाहट एवं व्यवसाय पर प्रभाव से संबंधित ज्ञान आवश्यक है।
10. भारत के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका— यातायात, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की जानकारी अपेक्षित है।
11. भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका— इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है।
12. खेलकूद – प्रमुख राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का स्थान पर आधारित प्रश्न होंगे।
13. विज्ञान के सामान्य नियम, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत की प्रगति – इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी पहलुओं की जानकारी अपेक्षित है।
14. सूचना का अधिकार अधिनियम।
15. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:— ठोस अपशिष्ट के प्रकार, ठोस अपशिष्ट के कारक।
16. ठोस अपशिष्ट का प्रभाव, पुनः चक्रीय करण एवं पुनः उपयोग।
17. योजना – उददेश्य एवं महत्व, योजनाओं (प्लान) के प्रकार, निर्णय शक्ति।
18. प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्रबंधन सूचना तंत्र।
19. लोक प्रशासन क्या है – परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, निजी एवं लोक प्रशासन, प्रबंधन एवं प्रशासन।
20. प्रशासनिक प्रक्रिया – नियम निर्धारण और निर्णय, निर्माण, संचारण, नेतृत्व, निरीक्षण, नियंत्रण, प्रेरणा।
21. प्रबंधन के कारक—बजट प्रक्रिया – वैधानिक नियंत्रण, शासकीय नियंत्रण, न्यायालयीन नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण।
22. जल (प्रदूषण निर्धारण एवं नियंत्रण अधिनियम) 1974.
23. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम – 1986.
24. छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता – 1959.
25. भारतीय दंड संहिता – 1860.
26. संपत्ति अंतरण अधिनियम – 1882.

Part-1 "General Studies"

- (1) **Indian Culture: Nature and Characteristics-** It will cover information regarding value system of different cultural religious groups existing in India.
- (2) **Indus valley Civilization –** city planning and architecture Jodado Mohan, Hdppa, Cnhundaro, Kalibangn, Lothan, Sorkotada
- (3) **Indian History from the middle of 19th Century till Independence-** Questions will be based on the Revolt of 1857, Moderates and Extremists in the Indian National congress, revolutionary, tribal, peasant and non-violent movements.
- (4) **Current events of National and International importance –** It will cover information on the events of national importance like coalition government system, economic liberalization, pressure groups and regional extremism and separatist movements and Naxalism. In international field impact of unipolar system on world politique and impact of globalization on the socio-economic conditions of developing countries.
- (5) **Constitution of India, political system and Indian Administrative system-** Questions should be based on salient features of Indian constitution, multiparty and regional political systems and administrative decentralization.
- (6) **Chhattisgarh Local administration .**
urban local government after 74th constitutional Amendment Act
draft structure and problems in the major urban development programs
Chhattisgarh
- Main Features of Indian Economy –** Information regarding economic planning, industrialization, investment of foreign capital and their impact on employment opportunities and condition of labour is expected.
- Geography of India: Main features-** Elementary Knowledge about impact of India's physical features, climate, rivers, seas and mountains on human settlements and occupation is required.

- (7) **The role of Science and Technology in the Development of India-** Information regarding India's achievements in the fields of transport, communication, information technology, computer and electronics media and space.
- (8) **Indian Agriculture and its role in rural economy** – Candidates are expected to study Green Revolution, White Revolution, Mechanization of agriculture and animal husbandry and their effect on rural life.
- (9) **Sports** – Questions shall be based on major national tournaments and India's place in international sports and games.
- (10) **General Principles of science, important scientific inventions and progress of India in scientific field** – it will cover information on aspects stated above.
- (11) **Right to Information Act**
- (12) **Information Technology impact on the administration**
- (13) **Disaster Management flood, cyclone, Tsunami etc. Natural Disasters**
- (14) **Environmental pollution:** - air pollution, water pollution, soil pollution, Noise pollution
- (15) **Solid concrete sanitary type sanitary management, solid sanitary factors,**
- (16) **the impact of solid sanitary, recyclaling and re-use**
- (17) **Planning-** Significance, Object Types of plans, Decision Making, Planning and strategic Management
- (18) **Controlling** – Information system, Management by Objectives (MBO), Management Information system (MIS)
- (19) **What is Public Administration:** - Definitions, Nature and scope of Public Administration. Private and Public Administration. Management and Administration.
- (20) **Administration process** :- Policy Formulation and Decision Making. Communication. Leadership and. Supervision and Controlling and motivation.
- (21) **Management Aids** – Budgeting Process:- Legislative Control. Executive Control. Judicial Control. Public control. Internal Control.
- (22) **Water (Prevention & Control of Pollution Act.) 1974.**
- (23) **The Environment (Protection) Act. 1986**
- (24) **C.G. Land Revenue Code. 1959**
- (25) **Indian Penal code 1860.**
- (26) **Transfer of Property Act 1882**
7. **यातायात एंव संचार** :— रेल सड़क एवं वायु यातायात, रेडियो, टेलिफोन तथा मोबाईल सेवाएं।
8. **पर्यावरण एवं उसका संरक्षण** :—
9. **प्रशासनिक ढॉचा** :— राज्यपाल, विधान सभा, मंत्रिमंडल, जिला, तहसील, विकास खंड, पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन।
10. **खेलकूद**
11. **छत्तीसगढ़ का इतिहास एंव संस्कृति** :—
- (1) **प्राचीन इतिहास** :— वैदिक काल से लेकर गुप्तकाल तक की रिथ्ति, प्रमुख राजवंश जैसे – राजषिंहुल्यकुल, नलवंश शरभपुरीय, पाण्डुवंश सोमवंश, नागवंश आदि।
 - (2) **कलचुरि एवं मराठा काल** :— प्रमुख कलचुरी शासक, कलचुरी प्रशासन प्रमुख मराठा प्रशासक, मराठा प्रशासन।
 - (3) **स्वतंत्रता संग्राम** :— 1857 का विद्रोह, राजनीतिक चेतना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ा आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण।
 - (4) **प्रमुख पुरातात्त्विक एवं पर्यटन स्थल** :— भोरमदेव, मल्हार, डीपाडीह, सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण, ताला, चित्रकोट, बारनवापारा, बारसूर आदि।
 - (5) **भाषा एंव साहित्य** :— छत्तीसगढ़ की विभिन्न बोलियां तथा उनके व्याकरणिक रूप, मौखिक एवं लिखित लोक साहित्य छत्तीसगढ़ साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार।
 - (6) **संगीत एवं नृत्य** :— लोक गायन की प्रमुख शैलियां, प्रमुख लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य।
 - (7) **मेले एवं तीज त्यौहार** :—
 - (8) **रुपंकर कला एवं रंगकर्म** :— प्रमुख लोक नाट्य, लोक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार।
 - (9) **छत्तीसगढ़ भासन की सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां** :— साहित्य कला तथा संगीत के क्षेत्र में रथापित विभिन्न संस्थाएं उपर्युक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान, प्रमुख सांस्कृतिक समारोह।
 - (10) **छत्तीसगढ़ की जनजातियां**।
 - (11) **छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था**।

भाग-2 :: छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय ::

1. **भौगोलिक स्थिति** – छत्तीसगढ़ की सीमाएं तथा विस्तार, धरातलीय दशाएं, अपवाह, जलवायु एवं प्राकृतिक प्रदेश।
2. **मानव संसाधन** :— जिलावार जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, लिंगनुपात, धार्मिक, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समूह साक्षरता एवं शिक्षा, व्यावसायिक संरचना, श्रमिक प्रवास, जन्म एवं मृत्युदर, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या अनुपात तथा आर्थिक नियोजन।
3. **प्राकृतिक संसाधन** :— खनिज, वन तथा वन्यजीवन, फसलों का क्षेत्रीय वितरण, कृषि का नियोजित विकास, हरित काँड़ि पशुधन विकास, प्रमुख नदियां, बांध तथा सिंचाई विकास परियोजनाएं।
4. **उर्जा संसाधन** :— परम्परागत एवं गैरपरम्परागत।
5. **उद्योग** :— वृहद, मध्यम तथा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग।
6. **शिक्षा** :— विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति।

Part-2 :: General Introduction of Chhattisgarh ::

- (1) **Geographical Location** – Borders and extent of Chhattisgarh, physical features, drainage. Climate and natural regions.
- (2) **Human Resources** – District wise distribution of population and density, sex ratio religious, scheduled caste and scheduled tribe groups, literacy and education, occupational structure, labour migration, birth and death rate, urban and rural population ratio, economic planning.
- (3) **Natural Resources** – Minerals, forest and wild life. regional distribution of crops, planned development of agriculture, Green Revolution, development of livestock, major rivers, dams and irrigation projects.
- (4) **Energy Resources** – Conventional and Non- Conventional.
- (5) **Industries** – Large, Medium and Small industries, Cottage industries
- (6) **Education** – Universities, Engineering and Medical Colleges, Technical institutions, Status of primary and secondary education .
- (7) **Transport and Communication** – Railways, roads and air transport, Radio, Television Telephone and Mobile services.
- (8) **Environment and its protection.**

- (9) **Administrative Structure** – Governor, Legislative Assembly, Cabinet, District, Tahsil, Block Development, Panchayati Raj and urban Administration.
- (10) **Sports and Games.**
- (11) **History and Culture of Chhattisgarh**
- (1) **Ancient History** – Condition of Chhattisgarh from Vedic age to Gupta period, Major dynasties like Rajarshitulyakula, Nala Dynasty, Sharabhpuriyas, Pandu Dynasty, Somavanshis etc.
 - (2) **Kalchuri and Maratha Periods** – Important Kalchuri kings, Kalchuri Administration, important Maratha Administrators, maratha Administration
 - (3) **Freedom struggle** – Revolt of 1857, Political consciousness, Non-Cooperation Movement, Quit India Movement, Attainment of independence and Formation of Chhattisgarh state.
 - (4) **Major Archaeological and Tourist centers** - Bhoramdev Malhar, Dipadih, Sirpur, Rajim, Shivrinarayan, Tala Chitrakot Barnawapara, Barasur etc.
- (5) **Language and Literature** - Various dialects of Chhattisgarh and their grammatical forms, oral and written folk literature, Chhattisgarh literature and important literatures.
- (6) **Music and Dance** – Major styles of folk music, Major folk dances, tribal dances .
- (7) **Fairs and festivals** –
- (8) **Fine Arts and Theatre** – major folk theaters, folk painting and important painters, modern painting and important painters.
- (9) **Activities of government of Chhattisgarh in the field of culture** – Various institutions established in the field of literature, music and fine arts .Awards established by the Chhattisgarh Govt. in the above field .important cultural festivals.
- (10) **Tribes of Chhattisgarh.**
- (11) **Three stages Panchayati Raj system in Chhattisgarh**

* * * * *

परिशिष्ट-तीन,

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु संक्रिया लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादी की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एविटव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की विधि में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।**
- (2). **सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
- (3). **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।**
- (4). **आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।**
- (5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड**
- (6). **सफेद / हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें रख्य दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचे हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर / करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत / प्रेषित करना अनिवार्य होगा।**
- (7). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्लाइट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर / करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।**
- (8). **ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाहीं गई है की सही—सही प्रविष्टि की जाए। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक मलीमांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन विलक्षण कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**
- (9). **ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद खत: खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ—साथ भुगतान की विधि व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को विलक्षण कर आवेदन की रसीद का प्रिंटाउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**
- (10). **ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाइल व ई-मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ—साथ राडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाइल व ई-मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रुपये 15/- (सेवा कर पृथक) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात प्राप्त आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।**
- (11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई**

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में बांधित सुधार कर लें।

- (12). **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-**
- प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 15/- (सेवा कर पृथक) देय होगा।
 - ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 15/- (सेवा कर पृथक) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
 - प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 15 (सेवा कर पृथक) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की रिस्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
 - परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को व्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।
- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाए। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- कार्ड/नेटवैकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का झापट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निररत कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य शीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पश्चिम लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (रक्खों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राष्ट्रन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पटटा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (क्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र बुद्धावस्था पेशन आदेश, विधवा पेशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से विचित्र कर सकेंगे।

* * * * *